

न्यायालय सहायक क्लेकटर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
दावा बाबत आर0टी0ए0 88  
प्रकरण संख्या-904/2019

1. आशीष पुत्र संजय कुमार जाति बिश्नोई निवासी 6 केएसपी तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ। वादी

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादी

उपस्थिति-श्री सुभाष चन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय


दिनांक :- 3-1-19

वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के नाम से चकनं0 6 केएसपी के खाता सं0 47 में वादी का नाम विश्वजीत उर्फ आशीष का कुल .253 है0 में से 1/48 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 59 में 6.325 है0 मे से विश्वजीत उर्फ आशीष का 1/3 हिस्सा तथा इसी चक के खाता सं0 62 में 1.265 है0 में से 158 हिस्सा तथा चकनं0 7 केएसपी के खाता सं0 11 में कुल 3.036 है0 में से 95/2277 हिस्सा व चकनं0 1 एचएम.एच के खाता सं0 59 में कुल 3.542 है0 में विश्वजीत का 1/24 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में विश्वजीत उर्फ आशीष दर्ज है जबकि वादी के पहचान-पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, अंकतालिका, राशनकार्ड में आशीष दर्ज है। वादी को बैंक से ऋण लने व पानी की पर्ची बनाने में परेशानी रहती है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में आधार कार्ड, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर चकनं0 6 केएसपी के खाता सं0 47,59 व खाता सं0 62 तथा चकनं0 7 केएसपी के खाता 11 में विश्वजीत उर्फ आशीष के स्थान पर पर आशीष तथा चकनं0 1 एच.एम.एच के खाता सं0 59 में विश्वजीत के स्थान पर आशीष नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है। नाम सही होने से स्टेट में कोई हित प्रभावित नहीं होते। नाम दुरुस्त करवाने से खातेदारी हक हकूक पर व राज्य हित पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वादी ने प्रतिवादी को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज में वादी का नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया गया जिसमें स्टेट द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई, स्टेट द्वारा अंकित किया गया है कि वादी का नाम विश्वजीत उर्फ आशीष के स्थान आशीष नाम अंकित किया जाता है तो राज्यहित प्रभावित नहीं होते। प्रतिवादी स्टेट की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा शामिल पत्रावली किया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक क्लेकटर  
टिब्बी

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी की भूमि में वादी का नाम विश्वजीत उर्फ आशीष दर्ज है जबकि वादी का सही नाम विश्वजीत उर्फ आशीष है जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक भी जारी की हुई है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपना नाम विश्वजीत उर्फ आशीष के स्थान पर आशीष दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड से विश्वजीत नाम हटवाना चाहता है जिसका स्टेट द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। वादी के नाम की दुरुस्ती से राज्यहित प्रभावित नहीं होते हैं। वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम से दर्ज है, जिसमें वादी का नाम विश्वजीत उर्फ आशीष नाम दर्ज है, वादी अपना सही नाम आशीष दर्ज करवाना चाहता है। वादी का वाद मात्र दुरुस्ती का है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चकनं 6 केएसपी के खाता सं 47,59 व खाता सं 62 तथा चकनं 7 केएसपी के खाता 11 में विश्वजीत उर्फ आशीष के स्थान पर पर वादी का नाम आशीष तथा चकनं 1 एच. एम.एच के खाता सं 59 में विश्वजीत के स्थान पर सही नाम आशीष अंकन करने तथा राजस्व रिकार्ड से विश्वजीत का नाम कलमजम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 3-9-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मीन तर्मा) एच  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी।